



केन्द्रीय वक्फ परिषद्

(अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार)

दूरभाष संख्या: 011-29562146-47

फैक्स: 011-29562137

वेबसाइट: www.centralwaqfcouncil.gov.in

ई-मेल: secycwc@wakf.gov.in

admn@wakf.gov.in



केन्द्रीय वक्फ भवन
पी-13 व 14 पुष्प विहार,
सेक्टर-6, साकेत,
फैमिली कोर्ट के सामने,
नई दिल्ली - 110 017

मिसल सं० AD02-29/1/2023-ALWO

कंप्यूटर सं० E-135364

दिनांक: 13 अप्रैल, 2023

सेवा में,

अवर सचिव (वक्फ अनुभाग),
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार,
11 वीं मंजिल, पं. दीनदयाल अंत्योदय भवन,
सी.जी.ओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली - 110003

विषय: कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का कार्यान्वयन (रोकथाम, निषेध और निवारण), अधिनियम 2013 - जागरूकता की समीति - के संबंध में।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय वक्फ परिषद् के कार्यालय में आंतरिक समिति 12 अक्टूबर, 2020 में गठित की गयी थी। जिसमें से एक सदस्य ने अपनी सदस्यता से इस्तीफा दिया है तथा समिति के कन्वीनर का प्रतिनियुक्ति अवधि समाप्त होने पर उन्हें अपने पैत्रिक विभाग में स्थानान्तरण हो गया है। इस प्रकार से आंतरिक समिति में दो पद रिक्त हुए हैं। अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि आंतरिक समिति के पुनर्गठन के लिए पीठासीन अधिकारी के रूप में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से एक महिला अधिकारी को नामित करने और आंतरिक समिति के सदस्य के रूप में एक महिला को लेने के लिए केन्द्रीय वक्फ परिषद् स्थानीय एनजीओ / बार एसोसिएशन से लेने के प्रयास में है।

2. उपरोक्त के अलावा केन्द्रीय वक्फ परिषद् के निम्नलिखित तीन कर्मचारियों को आंतरिक समिति के सदस्यों के रूप में नामित किया गया है:

- (i) श्री इनाम-उर-रहमान, सहायक लेखा अधिकारी
- (ii) डॉ. मो० खुरशीद वारसी, विकास अधिकारी
- (iii) श्रीमति नूर-उस-सबाह, लेखा लिपिक

3. अतः आपसे अनुरोध किया जाता है कि कृपया सीडब्ल्यूसी की आंतरिक समिति के पुनर्गठन के लिए पीठासीन अधिकारी के रूप में महिला अधिकारी को नामित करने का कष्ट करें ताकि कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

(अब्दुल रशीद मीर / Abdul Rashid Mir)

सहायक प्रशासनिक अधिकारी / Assistant Administrative Officer